न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 34 / 2019 / बाड़मेर

अपीलांट

1. जेगसिंह पुत्र सुजानसिंह जाति राजपुत निवासी पायला खुर्द तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.मूला पुत्र मोती जाति मेघवाल निवासी पांयला खुर्द तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

2.चेला पुत्र खंगार कायम मुकाम

2 / 1दीपाराम पुत्र चेलाराम

2 / 2ईसराराम पुत्र चेलाराम

2 / 3नगाराम पुत्र चेलाराम

2 / 4तारोंदेवी पुत्री चेलाराम

2 / 5रदूदेवी पुत्री चेलाराम

2 / 6आशीदेवी पुत्री चेलाराम

2 / 7पांचीदेवी पत्नी चेलाराम

3.लिखमा पुत्र खंगार कायम मुकाम

3 / 1सालूराम पुत्र लिखमाराम

3 / 2आम्बाराम पुत्र लिखमाराम

3 / 3केसी पत्नी लिखमाराम

4.विरधा पुत्र खंगार जातियान कलबी निवासी पांयला खुर्द तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

5.श्रीमान तहसीलदार सिणधरी

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सिणधरी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 01 / 2016 बअनवान मूला बनाम जोगसिंह में पारित आदेश दिनांक 27.09.2017 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री बाबुलाल विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री चैनाराम सारण रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

3. वकील श्री भजनलाल गोदारा रेस्पोडेंट संख्या 2/1से 2/3 व 3/1 से 4 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 16.11.2021

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पोडेंट की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 262 रकबा 112.15 बीघा भूमि ग्राम पांयला खुर्द तहसील सिणधरी में अवस्थित है। जिससे लगता हुआ विप्रार्थीगण का खातेदारी खेत खसरा संख्या 263 रकबा 69.17 बीघा व खसरा संख्या 264 रकबा 27.10 बीधा भूमि प्रार्थी के खेत एवं सड़क के मध्य पड़ता है। रेस्पोडेंट को सड़क तक पहुंचने के लिये विप्रार्थीगण के उक्त खेत में से चलने वाली कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। रेस्पोडेंट/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काष्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया गया। अपीलांटगण को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई है वह मौका पर जाकर नहीं बनाई गई है एवं तहसीलदार सिणधरी ने अपीलांट को बिना सूचित किये एवं बिना मौके पर जाये कार्यालय में बैठे—बैठे उतरदाता के प्रभाव में आकर बनाई जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन आराजी के खसरा संख्या 262 प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 01 की आवगी खातेदारी में नहीं होकर अन्य सहखातेदारों की संयुक्त खातेदारी का खेत है प्रार्थी के अलावा अन्य इनके सहखातेदारों को रास्ते की कोई आवश्यकता नहीं है। संयुक्त खातेदारी के अन्य खातेदारों को आवेदन में पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण पक्षकारों के कुसंयोजन करने के कारण व सम्पूर्ण पक्षकारों के अभाव में प्रार्थना—पत्र चलने योग्य नहीं होने बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस अहम तथ्य को नंजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंट/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस गौर किये बिना

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांटगण को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। तहसीलदार सिणधरी द्वारा पेश मौका रिपोर्ट एकपक्षीय बनाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु निवेदन किया लेकिन अपीलांट की आपतियों का निरतारण नहीं करते हुए अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई है वह मौका पर जाकर नहीं बनाई गई है एवं तहसीलदार सिणधरी ने अपीलांट को बिना सूचित किये एवं बिना मौके पर जाये कार्यालय में बैठे–बैठे उतरदाता के प्रभाव में आकर बनाई जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 01 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 262 रकबा 112.15 बीघा ग्राम पांयला खुर्द तहसील सिणधरी में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 2/1से 2/3 व 3/1 से 4 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि उतरदाता संख्या 01 के खेत खसरा संख्या 262 के दक्षिणी सेढे से मात्र खसरा संख्या 263 छोड़ने के बाद बहुत कम दूरी पर खसरा संख्या 265 तक रास्ता उपलब्ध है परन्तु उतरदाता संख्या 01 अपने सहखातेदारों को रास्ता की सुविधा से वंचित रखने हेतु खसरा संख्या 262 के उतरी सेढे से बहुत अधिक दूरी से रास्ता चाहा गया है जबकि खसरा संख्या 262 के दक्षिणी सेढे से रास्ता निकालने से सहखातेदारों सहित अन्य कई लोगों को रास्ते की सुविधा प्राप्त होगी तथा हम उतरदाता संख्या 02 से 04 खसरा संख्या 263 के दक्षिणी सेढे से निःशुल्क रास्ता देने हेतु भी तत्पर है। अतः अपीलांट की अपील को स्वीकार कर उतरदाता संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

01 द्वारा चाहा गया रास्ता खसरा संख्या 263 के दक्षिणी सेढे से स्वीकृत किये जाने के आदेश फरमावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट अनपढ व कानूनी बारिकीयो से अनविज्ञ होने के कारण तथा मौके पर कोई हलचल न होने व राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद न होने से आलोच्य आदेश की जानकारी नहीं हो सकी परन्तु वर्तमान में अरसा 10–12 दिन पूर्व उतरदाता संख्या 01 मौके पर रास्ता निकालने हेतु प्रयास करने लगे तथा अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने लगा, जिस पर अपीलांट को अपने हक हकुक संशयप्रद लगे तो अपीलांट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तथा प्रकरण के बारे में पूछताछ की तथा अलोच्य आदेश की जानकारी हुई तथा वास्तविक जानकारी तिथि से अपील अन्दर मियाद पेश की गई। अपील पेश करने मे हुई देरी सदभाविक है। अतः अपीलांट की अपील को अन्दर मियाद शुमार फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांटगण/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष की उपस्थिति में पारित की गई है फिर भी अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं होने का तथ्य सरासर गलत एवं झूठा है। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का **उचित व युक्तियुक्त कारण नहीं दर्शाया गया है** जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब न्यायालय के समक्ष पेश करना चाहिए था जो नहीं किया गया है। अपील पेश करने में हुऐ विलंब के बारे में मनगढत व झूठे तथ्य अंकित किये है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की उपस्थिति में पारित किया गया। अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील अकारण विलम्ब से पेश की गई है हस्तगत अपील को सुदीर्घ अवधि तकरीबन 01 वर्ष 09 माह बाद पेश की गई, जिसका कोई विधि सम्मत कारण नहीं बताया गया। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब न्यायालय के समक्ष पेश करना चाहिए था जो नहीं किया गया है। अतः अपील को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते है। चुंकि न्यायालय द्वारा मैरिट पर बहस सुनने के कारण मैरिट पर निर्णय पारित करना भी न्यायोचित है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया है जिससे अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया प्रतीत होता है। मौका फर्द दिनांक 03.03.2017 एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 15.12.2015 में स्पष्ट किया गया है कि प्रदत्त अपीलाधीन रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी के खेत से कटाण मार्ग तक पहुंचने का अन्य कोई नजदीक विकल्प नहीं है तथा प्रस्तावित रास्ते पर कोई पक्का निर्माण कार्य नहीं है संलग्न नक्शे दर्शित बिन्दु ए से बी रास्ता ही निकटतम दूरी का रास्ता है। अपीलांट द्वारा ऐतराज पर ऐतराज पेश किया जा रहा है जिससे अपीलांट की रास्ता नहीं देने की नीयत साफ झलकती है। वह प्रस्तावित रास्ते में अवरोध पैदा करने की कार्यवाही में लिप्त है। अपीलांट की गैर कानूनी मांग स्वीकार्य नहीं हैं। रेस्पोडेंट/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांट की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थी को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना कतई न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट मियाद बाहर सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सिणधरी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 01/2016 बअनवान मूला बनाम जोगसिंह में पारित आदेश दिनांक 27.09.2017 को यथावत रखा जाता है।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 16.11.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर